स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 42, दिनांक 26–01–2025

सीबीआई/नारकोटिक्स/क्राईमब्रांच क अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार।

दिनांकः 25–01–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को सीबीआई/नारकोटिक्स/क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने वाले संगठित गिरोह के एक सदस्य को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– सुरेश कुमार सैन पुत्र रामदयाल सैन निवासी ग्राम रामनगर, थाना बानसुर, तहसील बानसुर ,जिला कोटपुतली अलवर, राजस्थान, उम्र लगभग 43 वर्ष।

बरामदगी–

1– 02 अदद मोबाइल फोन।
2– 01 अदद पासपोर्ट।
3– 02 अदद कम्बोडिया के इम्प्लाइमेंट कार्ड।
4– 01 अदद एबीए बैंक कम्बोडिया का एटीएम कार्ड।
5– 01 अदद फ्लाइट टिकट फोनम कम्बोडिया से नई दिल्ली भारत।
6– 01 अदद पेमेंट रशीद एक माह के लिए कम्बोडिया में गेस्टहाउस बुकिंग से सम्बन्धित।
7– 01 अदद कम्बोडिया का सिम कार्ड ।
8– 03 अदद कम्बोडिया के सिम कार्ड होल्डर।
9– 12 अदद पेज WhatsApp के स्क्रीनशाट।
10– 160 अमेरिकन डालर भारतीय कीमत लगभग रू13280/नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः– **स्थानः** इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। दिनांकः 25–01–2025 समय लगभगः 23:10 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से सीबीआई/नारकोटिक्स/क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि डा अशोक सोलंकी निवासी लखनऊ ने थाना साइबर क्राइम, लखनऊ में मुकदमा पंजीकृत कराया कि उनको सीबीआई/नारकोटिक्स/क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर दो दिन तक जांच के नाम पर Digital Arrest कर 48.00 लाख रूपये की ठगी की गयी।

उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर विश्लेषण एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए, दिनांक 14–11–2024 को एसटीएफ टीम द्वारा गुरूग्राम हरियाणा से 05 अभियुक्तों, दिनांक 16–11–2024 को लखनऊ से 02 अभियुक्तों, दिनांक 03–12–2024 को लखनऊ से 03 अभियुक्तों व दिनांक 26–12–2024 को लखनऊ से 01 अभियुक्त (कुल–11 अभियुक्तों) को गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में इस गिरोह के मुख्य सदस्य सुरेश कुमार सैन (जो गिरफ्तारी से बचने के लिए कम्बोडिया फरार हो गया था) को कल दिनांक 25–01–2025 को कम्बोडिया से भारत आने की सूचना प्राप्त होने पर इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त सुरेश कुमार सैन ने पूछताछ में बताया कि मैं अप्रैल 2023 में दिल्ली से कोलकाता, बैंकॉक, होते हुए सीएमरीप एयरपोर्ट कंबोडिया गया था। मुझे एजेंट रफीक भाटी झूझनू, राजस्थान के जानने वाले एजेंट नितिन निवासी मुंबई के माध्यम से कंबोडिया में एक बांग्लादेशी नागरिक मिला था। जो मुझे एक होटल में लेकर गया। मै उस होटल में 05 दिन तक रुका। इसके बाद वह बांग्लादेशी नागरिक, यासीन चौधरी निवासी पाकिस्तान के माध्यम से मुझे फ्नोमपेन्ह शहर और उसके आस–पास के कथित चाइनीज लोग द्वारा संचालित साइबर ठगी करने वाली 05 कम्पनियों/कॉल सेंटरों पर लेकर गया था। मेरे साथ नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देशों के लोग भी गये थे। इन कम्पनियों/काल सेंटरों मे पहले हम लोगों का इंटरव्यू हुआ। इन कम्पनियों/काल सेंटरों में हम लोगों को सीबीआई/नारकोटिक्स/क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने, आनलाइन ट्रेडिंग, शेयर आदि में इनवेस्ट करने पर कम समय में धन दोगुना करने के प्रलोभन भरे आफर देकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व नेपाल आदि देशों में साइबर ठगी करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इन काल सेंटरों में मेरा कई चरणों में इण्टरब्यू लिया गया एवं कई दिन तक मुझे ट्रेनिंग दी गयी थी। यहां पर मैंने लगभग 10 महीने तक साइबर ठगी का काम किया। मैं साइबर ठगी करने वाले इन कम्पनियों/काल सेंटरों में कालिंग की जाब के लिए कमीशन लेकर भारत से कालर को बुलाने का भी काम करने लगा। मैं, अपने पर्सनल कांटेक्ट व नितिन के माध्यम से लोगों को कम्बोडिया बुलाने लगा। मेरे व यासीन के माध्यम से किसी का सेलेक्शन इन ठगी की कम्पनियों/कॉल सेंटरों में होने पर 1000 डालर का कमीशन मिलता था, जिसे मैं व यासीन चौधरी आपस में बांट लेते थे। यहां पर मैं कालरों को कम्पनियों/कॉल सेंटरों में ले जाता था, उनका सेलेक्शन कराता था। कथित चीनी कम्पनियों/कॉल सेंटर में इंटरव्यू लेने वाले लोग भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के होते थे। साइबर ठगी की इन कम्पनियों/काल सेंटरों पर मैंने लगभाग 30 कालरों को खुद से व यासीन चौधरी के माध्यम से लगभग 75 कालरों को सेलेक्ट कराया था। यह कम्पनियां/काल सेन्टर पोडपेड–कम्बोडिया में है। इसके बाद मैनें मार्च 2024 में यासीन चौधरी से अलग होकर अपना खुद का रेस्टोरेंट फ्नोमपेन्ह (कम्बोडिया) में खोल लिया था। पर दो माह बाद इसको बंद कर कैंपोट शहर (कम्बोडिया) में मनोरथ नाम से दूसरा रेस्टोरेन्ट खोला

इसी रेस्टोरेन्ट के पते पर मैं साइबर ठगी के लिए कालरों को वीजा दिलाकर बुलाता हूँ। मै भारत से कम्बोडिया भेजने के लिए लोगों से 01 लाख 50 हजार रू0 लेता हूं, व इसके बाद कंबोडिया में कथित चाइनीज कम्पनियों/कॉल सेंटरों में सेलक्शन कराकर कम्पनी/ कॉल सेंटर वालों से बतौर कमीशन–1000 डालर लेता हूं। मै कुछ कालरों को भारत से कम्बोडिया ले जाने के लिए कम्बोडिया से भारत आया था।

अभियुक्त द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जोयेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 142/2024 धारा 319(2), 318(2), 338, 336(2), 340, 61(2)(ए) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम लखनऊ में दाखिल कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।